डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जुलाई, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2020

| वर्ष 64 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा पर्याप्त कृषि आदान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ली खरीफ 2020 कृषि आदान संबंधी बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ 2020 के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कृषि आदान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण है। किसान किसी बात की चिंता न करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कृषि आदान 2020 संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, सहकारिता आयुक्त श्री उमाकांत उमराव, एम.डी. मार्कफेड श्री पी. नरहरि आदि उपस्थित थे।

8.25 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खरीफ के लिए किसानों को अभी तक 8.25 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित किया जा चुका है। इसमें 3.69 मीट्रिक टन यूरिया, 3.19 मीट्रिक टन डी.ए.पी., 0.44 मीट्रिक टन कॉम्पलैक्स, 0.24 मीट्रिक टन एम.ओ.पी. एवं सुपर फास्फेट 0.69 मीट्रिक टन किसानों को वितरित कर दिया गया है।

पर्याप्त खाद उपलब्ध

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में खरीफ 2020 के लिए आज की स्थिति में 5.75 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तथा 7300 मीट्रिक टन ट्रांजिट में है। इसी प्रकार 5.90 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी उपलब्ध है तथा 16618 मीट्रिक टन ट्रांजिट में है। इसके अलावा 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया के अतिरिक्त आवंटन की केन्द्र से मांग की गई है, जो हमें मिल जाएगा।

खरीफ 2020 का खाद का लक्ष्य

प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बतायाकि खरीफ 2020 के लिए प्रदेश में खाद का कुल लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इसमें यूरिया का लक्ष्य 11 लाख मीट्रिक टन, डी.ए.पी. का 7 लाख मीट्रिक टन, कॉम्पलेक्स का 2 लाख मीट्रिक टन, एम.ओ.पी. का एक लाख मीट्रिक टन तथा सुपर फॉस्फेट का 4 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों को कोई परेशानी होने पर 181 पर सूचित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कृषि आदान संबंधी परेशानी होने पर वे कंट्रोल रूम 181 पर सूचित करें। उनकी समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा।

लॉकडाउन में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये पारिश्रमिक और बोनस बना बड़ा सहारा

81 हजार 937 संग्राहकों को मिला साढ़े 25 करोड़ रु. से अधिक का पारिश्रमिक एवं बोनस

भोपाल। लॉकडाउन के दौरान आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये पारिश्रमिक और बोनस वितरण खुशियों का सबब बनकर आया है। वन विभाग ने अब तक जिले के 81 हजार 937 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 25 करोड़ 53 लाख 55 हजार रुपये का पारिश्रमिक एवं बोनस वितरण किया है। इसमें 15 करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपये का पारिश्रमिक और 10 करोड़ 38 लाख 59 हजार रुपये का तेन्दूपत्ता वर्ष 2018 का बोनस शामिल है।

उत्तर बैतूल वन मण्डल के दस प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों मेंढापानी, खेरी, घोड़ाडोंगरी, डोकली, सलैया, पूंजी, शाहपुर, धार, धपाड़ा एवं डाबरी के 25 हजार 360 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2020 में संग्रहित 33040 मानक बोरा की 9 करोड़ 26 लाख एक हजार 975 रुपये तेन्दूपत्ता संग्रहण मजदूरी का भुगतान किया गया। साथ ही 11392 संग्राहकों को 4 करोड़ 60 लाख 25 हजार 144 रुपये वर्ष 2018 की बोनस राशि भुगतान की गई। इसी तरह दक्षिण बैतूल वन मण्डल के सात प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों रतेड़ाकला, खेड़लीबाजार, चांदू, कोथलकुण्ड, खेड़ीसांवलीगढ़, झल्लार एवं जीन के 12 हजार 320 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2020 सीजन में संग्रहित 12518 मानक बोरा की 3 करोड़ 12 लाख 97 हजार 75 रुपये तेन्दूपत्ता संग्रहण मजदूरी का भुगतान किया गया। वहीं 4971 संग्राहकों को 2 करोड़ 14 लाख 69 हजार 639 रुपये वर्ष 2018 की बोनस राशि भुगतान की गई है।

पश्चिम बैतूल वन मण्डल के दस प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों चिरापाटला, चूनाहजूरी, चिचौली, भीमपुर, नांदा, तावड़ी, पाट, पिपरिया, दामजीपुरा एवं कुरसना के 18 हजार 211 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2020 सीजन में संग्रहित 15039 मानक बोरा की 3 करोड़ 75 लाख 97 हजार 513 रुपये तेन्दूपत्ता संग्रहण मजदूरी का भुगतान किया गया। साथ ही 9593 संग्राहकों को 3 करोड़ 63 लाख 64 हजार 443 रुपये वर्ष 2018 की बोनस राशि भुगतान की गई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैण्ड सेनिटाइजर का उपयोग लघु वनोपज संघ के निर्देशानुसार किया गया। लॉकडाउन के दौरान उक्त राशि मिलने से तेन्दूपत्ता संग्राहकों में प्रसन्नता है एवं वे प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाके बंद होंगे : मंत्री श्री पटेल

विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश

भोपाल। भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाको को बंद किया जाएगा। कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 26 हजार कृषक मित्र भी पुनरू बनाए जाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने कहा कि सभी मंडियों में इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लगाये जाएं और मंडियों को अपग्रेड किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि किसानों से अवांछित तरीके से वसूली न होने पाए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री संदीप यादव और संचालक कृषि श्री संजीव सिंह उपस्थित रहे।

मंत्री श्री पटेल ने विपणन वर्ष 2020–21 में चना उपार्जन का कार्य 30 जून 2020 तक जारी रखने और उपार्जन हेतु एस.एम.एस. लगातार जारी किये जाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कलेक्टरों द्वारा उपार्जन कार्य पूर्ण न होने के बावजूद उपार्जन केन्द्र बंद कर दिये हैं वे तत्काल उपार्जन केन्द्र चालू करें एवं संबंधित कलेक्टर्स से स्पष्टीकरण लिये जायें।

मंत्री श्री पटेल ने दमोह जिले में वर्ष 2018–19 में उड़द फसल की किसानों की बकाया राशि 27 करोड़ 96 लाख रूपये का भुगतान करने के निर्देश दिये। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मंडी एक्ट 5 जून 2020 के अध्यादेश अनुसार कृषि उपज मंडियों के अन्तर्राज्यीय 54 नाको को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। बैठक में संचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि पी.के.व्ही.वाय. योजना के लक्ष्य जारी किये जाये तथा कलस्टर के प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सभी जिलों के परियोजना संचालक ष्आत्माष् को तत्संबंध में तत्काल आदेश जारी किये जाये।

मंत्री श्री पटेल ने किसानों को आवश्यक सलाह और सुझाव देने के लिये कृषक मित्र योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक 2 गावों में एक कृषक मित्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 26 हजार कृषक मित्र पुनरू बनाये जायेंगे। इसी प्रकार खण्ड समन्वयक, जिला समन्वयक एवं संभाग समन्वयक भी बनाये जायेंगे। आत्मा परियोजना में विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया 10 लाख एस.एच.जी महिलाओं को संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्व–सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए आगामी समय में 1433 करोड़ रूपए के कार्य दिलाए जाएंगे। स्व–सहायता समूहों की महिलाएं अपने गांव और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण करें। उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में सरकार उनकी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवं वैब लिंकिंग के माध्यम से प्रदेश के महिला स्व–सहायता समूहों की लगभग 10 लाख महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वीसी के माध्यम से जिलों के एनआईसी केन्द्रों में उपस्थित स्व–सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत भी की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।

कोरोना की लड़ाई में महिला एस.एच.जी. आदर्श बनें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में अपने गांव और क्षेत्र को जागरूक करने में महिला स्व–सहायता समूह आदर्श बनें। वे अपने गांव व क्षेत्र में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाएं। दो गज की दूरी (6 फीट), सैनेटाईजेशन, बार–बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना आदि ऐसे हथियार हैं, जिनके माध्यम से हम कोरोना को हरा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको यह महत्वपूर्ण जवाबदारी दे रहा हूँ, आप यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

महिलाओं को बनाया जाएगा आर्थिक रूप से सशक्त

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगभग 400 करोड़ रूपए की लागत का विद्यार्थियों के लिए गणवेश बनाने का कार्य, आजीविका विकास के लिए 65 करोड़ रूपए के कार्य, मुर्गी पालन, भेड़ पालन के लिए 12 करोड़ रूपये के कार्य, 90 हजार पीपीई किट निर्माण के लिए 4.56 करोड़ रूपए के कार्य, टेक होम राशन तैयार करने के लिए 700 करोड़ के कार्य तथा गौशाला, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, खेत तालाब, मेड बँधान, वृक्षारोपण आदि के लिए 252 करोड़ रूपये के कार्य दिलाए जाएंगे।

एस.एच.जी ने उल्लेखनीय कार्य किए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में महिला एस.एच.जी ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 20 हजार से अधिक स्व–सहायता समूह सदस्यों द्वारा 105 लाख से अधिक मास्क बनाकर विक्रय किए गए, जो कि सभी प्रदेशों में अधिकतम है। महिला एस.एच.जी. द्वारा 90 हजार 537 लीटर सैनिटाइजर, 17 हजार 131 लीटर हैण्ड वॉश बनाकर विक्रय किया गया। महिलाओं द्वारा 97 हजार 318 सुरक्षा उपकरण किट बनाए गए, 05 जिलों के 20 समूहों के 222 सदस्यों एवं 01 उत्पादक कंपनी ने गेहूँ उपार्जन का कार्य किया। इसके अलावा सब्जी एवं किराना वितरण, दूध उत्पादन एवं घर–घर वितरण कार्य किया गया। बीसी सखियों द्वारा जनधन खाता धारकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गई, जिनके माध्यम से 03 अप्रैल 2020 से आज दिनांक तक 20.59 करोड़ रूपये से अधिक का व्यापार इन सखियों द्वारा किया गया। महिला एस.एच.जी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन एवं अन्य व्यवस्था में सहयोग, महामारी की जानकारी के प्रचार में सहयोग, एप के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण तथा दीवार पर पेंटिंग से जागरूकता जैसे अनेक कार्य किए गए हैं।

सुनीता चलाती है आजीविका एक्सप्रेस

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व–सहायता समूह के सदस्यों से बातचीत की तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। ग्राम टुण्डीखेड़ा जिला श्योपुर के सावन माता स्व सहायता समूह की सुश्री सुनीता बिलवाल ने बताया कि वे आजीविका एक्सप्रेस – टाटा मैजिक वाहन चलाती हैं। मुर्गी पालन एवं फलों की खेती करती हैं तथा एक साल में 5 से 6 लाख रूपये कमा लेती हैं। ग्राम चननऊदी जिला शहडोल के निहाल स्व–सहायता समूह की सुश्री नूरी बेगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे उन्नत जैविक कृषि एवं हाउस कीपिंग का कार्य करती हैं तथा प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

निराशा दीदी ने खुलवाए 800 उद्यम

शिवपुरी जिले के ग्राम रूपयपुर के सरस्वती देवी स्व–सहायता समूह की सुश्री निराशा देवी ने बताया कि वे ग्राम की महिलाओं के छोटे–छोटे उद्योग खुलवाती हैं। अभी तक वे अन्य महिलाओं के सहयोग से लगभग 800 उद्यम उनके गांव एवं आसपास खुलवा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने तो कमाल कर दिया।आपका नाम तो निराशा देवी नहीं आशा देवी होना चाहिए। सागर जिले के ग्राम ईदलपुर की कविता लोधी ने बताया कि वे बैंक सखी का कार्य करती हैं तथा अभी तक 18 हजार ट्रांजेक्शन कर 23 लाख रूपए लोगों के घरों में पहुंचाए हैं।

मामा आपने दीदी को कारखाना मालिक बनाया

बड़वानी जिले के ग्राम पिपरी की प्रेरणा शक्ति स्व सहायता समूह की सुश्री वैशाली चौधरी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मामा जी आपने दीदी को कारखाना मालिक बना दिया है। पहले जब आप 2014 में मुख्यमंत्री थे तब मुझे आजीविका मिशन के अंतर्गत सिलाई सेंटर बनाने के लिए मदद मिली थी। आज मेरे सेंटर में 70 मशीनें चल रही हैं तथा 90 महिलाएं शिफ्ट में कार्य कर रही है। अभी तक 2 लाख मास्क तथा 3 लाख पीपीई किट बनाए जा चुके हैं। सिंगरौली जिले के ग्राम तुमतौला के कृष्णा स्व सहायता समूह की सुश्री देवी बैगा ने बताया कि वे मुर्गी पालन का कार्य करती हैं। उन्हें जिला माईनिंग फंड से 01 लाख रूपये की राशि प्रति सदस्य प्राप्त हुई। अनूपपुर जिले की सुश्री चम्पा सिंह ने बताया कि वे जैविक खेती एवं कृषि का कार्य करती है। उनके पिता नहीं है, वे माँ एवं भाई का सहारा हैं। वे प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख रूपये की आमदनी अपनी जैविक खेती की दुकान से करती हैं। मंडला जिले के ग्राम तौरई की सुश्री सरोज नरेटी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे लोक अधिकार केन्द्र संचालित करती हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने अभी तक पारिवारिक घरेलू विवाद के 300 प्रकरणों का निराकरण करवाया है।

नामांतरण के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

भोपाल। नामांतरण के लिऐ कोई भी व्यक्ति वेबसाइट WWW-rcms-mp-gov-in पर स्वयं, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र, पटवारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की पावती भी ऑनलाइन मिलेगी। लोगों को अब नामांतरण के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व से संबंधित प्रकरणों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

नामांतरण के प्रकार

फौती नामांतरण, सभी वारिसों के हक के आधार पर – खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत उसके वैध वारिसों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना। फौती नामांतरण, कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ–साथ – खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत जिन वारिसों ने अपना हक त्याग कर दिया है उन्हें छोड़ कर शेष वैध वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना।फौती नामांतरण, वसीयत के आधार पर – खातेदार द्वारा जीवनकाल में वसीयतनामा करने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके आधार पर नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना।पंजीकृत विक्रय–पत्र के के आधार पर क्रेता के नाम नामांतरण।पंजीकृत दानपत्र के आधार पर – खातेदार द्वारा अपनी भूमि को अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य को बिना प्रतिफल लिए हस्तांतरित करना। पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर–पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर भूमि की अदला–बदली। व्यवहार न्यायालय के डिक्री के आधार पर– व्यवहार न्यायालय द्वारा भूमि को खातेदार के स्थान परसय अन्य व्यक्ति के नाम किये जाने का आदेश। नाबालिक से बालिक होने पर–खातेदार के वयस्क(बालिक) हो जाने पर रिकार्ड का अद्यतन। बटाई/ बंधक दर्ज करने हेतु– भूमि पर बैंक से ऋण लिए जाने के उपरांत भूमि को बंधक करना। बटाई/बंधक विमुक्त करने हेतु–ऋण वापस जमा करने उपरांत भूमि को विमुक्त किया जाना। किसी अन्य प्रकार से हक अर्जन द्वारा – ऊपर वर्णित प्रकारों से भिन्न प्रकार से हक अर्जन होने पर भी ऑनलाइन आवेदन किया

मध्यप्रदेश सहित छह राज्यों के लिए केन्द्र सरकार ने शुरू किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया संबोधित

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास स्थान और गृह प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आज वीडियो कान्फ्रेंस कर ई–शुभारंभ किया। इस अभियान में मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और ओड़िसा राज्यों के 116 जिलों में वर्ष में 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया गया है जहां से 25 हजार से अधिक श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते हैं। अभियान के ई–शुभारंभ के अवसर पर मंत्रालय, भोपाल में मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित छह राज्यों के मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी उपस्थित थे।

अभियान में शामिल मध्यप्रदेश के 24 जिले

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 24 जिलों में बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिण्ड, अलिराजपुर, बैतूल, खण्डवा, शहडोल, धार, डिण्डोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों ने कोविड–19 के दौर में परेशानियों के बावजूद अपने गांव लौटकर आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए काफी कुछ कार्य कर दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कुछ श्रमिकों से चर्चा करते हुए कहा कि आप इस सदी के महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अभी तक आप शहरों को चमका रहे थे, अब अपने ग्राम को चमकाईये। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान शुरु करने की प्रेरणा उन्हें एक ऐसे श्रमिक से मिली जो उत्तरप्रदेश में अपने गांव लौटकर पीओपी और मकानों की भीतरी साज–सज्जा के कार्य में दक्ष है। इस श्रमिक ने लॉकडाउन की अवधि में अपने ग्राम में हुनर का परिचय देते हुए कायाकल्प कर डाला।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 25 कार्य क्षेत्र चुने गए हैं जो गांव के लोगों के जीवन के बेहतर बनाने के कार्य करेंगे। इन कार्यों में सामुदायिक शौचालय, आँगनबाड़ी केंद्र, कुँआ निर्माण, ग्रामीण मंडी की स्थापना, पशु शेड,पंचायत भवन, पेयजल प्रबंधन, वृक्षारोपण और सड़क निर्माण जैसे कार्य शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड, उज्जवला योजना में रसोई गैस सुविधा, करीब 80 करोड़ आबादी को अन्न प्रदाय और जनधन खातों को आधार से लिंक किए जाने के फलस्वरूप हितग्राहियों को आज कोविड–19 की परिस्थितियों में लाभान्वित करने में आसानी हुई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान आवश्यक है इसलिए किसानों को बाजार से जोड़कर ज्यादा दाम दिलवाने के प्रयास किए गए।

केन्द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि देश के 116 जिलों के सार्वजनिक सेवा केन्द्रों और पंचायतों में श्रमिकों ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री श्री मोदी का संबोधन प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लॉकडाउन घोषित होने के पश्चात पैकेज घोषित कर आर्थिक व्यवस्था को बल देने का कार्य किया। इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में राज्यों से मिलकर रणनीति पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। बाहर से लौटे श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने का यह महत्वपूर्ण कदम है।

मध्यप्रदेश के प्रयासों से केन्द्र अवगत

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों से केन्द्र सरकार को अवगत करवाया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 2020 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 1 हजार रूपये की राशि अंतरित की गई। प्रवासी मजदूरों के लिए शासकीय व्यय पर 150 स्पेशल ट्रेनों एवं बसों के माध्यम से प्रदेश के 6 लाख से भी अधिक श्रमिकों को वापिस लाया गया। दूसरे राज्यों के श्रमिक जो पैदल अथवा किसी अन्य साधन से मध्यप्रदेश की सीमा पर पहुंचे ऐसे लगभग 5 लाख 25 हजार मजदूरों को 20 हजार से अधिक बसें लगाकर सीमावर्ती राज्यों की सीमा तक छोड़ा गया। प्रवासी मजदूरों के गाँव आने पर हेल्थ चेक अप कराने के पश्चात क्वारेंटाइन केंद्र में आवास, भोजन, उपचार की उचित व्यवस्था की गई। प्रवासी मजदूरों एवं सभी ग्रामीण लोगों के रोजगार के लिए मनरेगा के अंतर्गत अब तक लगभग 22 हजार 537 ग्राम पंचायतों में 1.95 लाख से अधिक कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और इनसे माह अप्रैल से अब तक प्रतिदिन औसतन 25.14 लाख मजदूरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। अभी तक कुल 1862 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है जिसमें से 1256 करोड़ राशि का भुगतान मजदूरी के लिए किया गया। प्रवासी मजदूरों को अब तक 3.64 करोड़ से अधिक क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। कुल 1.88 लाख लोगों को (83 लाख खाद्यान्न पैकेट) उपलब्ध भोजन पेकेट उपलब्ध करवाए गए । रोजगार सेतु योजना भी ऐसे प्रवासी मजदूरों की पहचान, पंजीयन, उनकी दक्षता और कौशल के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए चल रही है। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से मजदूर एवं नियोक्ता कंपनी एक दूसरे से सीधे संपर्क कर रोजगार प्राप्त करने के संबंध में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। अब तक 13.09 लाख मजदूर एवं 14,750 मजदूर रोजगार प्रदाय कर्ता पोर्टल में पंजीबद्ध हो चुके हैं। लगभग 3 हजार मजदूरों ने कौशल के आधार पर इस पोर्टल के जरिए रोजगार प्राप्त कर लिया है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश : प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करेंगे

भोपाल। हरदा जिले में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, जिससे वह अपनी आजीविका उपार्जन कर आत्मनिर्भर बन सकें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हरदा जिला भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हरदा के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए यह बात कही ।

मंत्री श्री पटेल ने अपने गृह जिले हरदा की विकास योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करते हुए कहा कि देश को विकसित और समृद्धशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान चलाकर उसे तेजी से पूरा करना है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए आरंभ की गई संबल योजना में ढाई एकड़ तक भूमिधारक किसानों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अधिकतम छोटे और सीमांत किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

मंत्री श्री पटेल ने बैतूल सांसद श्री दुर्गादास उईके, टिमरनी विधायक श्री संजय शाह, वरिष्ठ नेता श्री अमरसिंह मीणा सहित हरदा के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आव्हान किया कि गांव का प्रत्येक गरीब सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो। हमारा लक्ष्य है कि हरदा जिले में कोई भी गरीब व असहाय न रहे। श्री पटेल ने कहा कि जिले में हर जरूरतमंद को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर भारत–आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में हरदा प्रभावी भूमिका निभा सके।

भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिये समिति पुनर्गठित

भोपाल। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन अथवा नये नियम बनाने तथा नियमों के प्रारूपण के लिये गठित समिति को पुनर्गठित किया गया है। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री आई.एस.दाणी समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी समिति के उपाध्यक्ष होंगे।

समिति में प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त भू–अभिलेख, सचिव राजस्व मंडल श्री अशोक कुमार गुप्ता सदस्य राज्य भूमि सुधार आयोग और अपर सचिव राजस्व डॉ. श्रीकांत पाण्डेय सदस्य होंगे। समिति की संयोजक उपायुक्त राजस्व डॉ. भारती गुप्ता होंगी।

लॉकडाउन में मिली छूट में ही प्रधानमंत्री आवास योजना में बन गए 1134 आवास

भोपाल। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन में मिली छूट में गरीबों के लिए आशियाने का इंतजाम और ग्राम में ही रोजगार मिलने से धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1134 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। धार जिले में लॉकडाउन के दरम्यान ग्रामीण इलाकों में मिली छूट में ही ग्रामीण गरीबों के परिवारों को रहने का माकूल इंतजाम हो गया है। आवास निर्माण के दौरान कोरोना महामारी के प्रभाव को दृष्टिगत इससे बचने के तरीके बताकर सजग करने के साथ ही काम करने वालों को डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा गया। जिसके चलते 2 जून तक पूरे जिले में यह आवास तैयार हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक 336 आवास बाग जनपद क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार हुए हैं। इसके अलावा 10 अन्य जनपदीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 798 आवास तैयार हो चुके हैं।

स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 175वीं बैठक की अध्यक्षता की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें। बैंकों की वार्षिक साख योजना में एस.एच.जी. कंपोनैंट को पृथक से दर्शाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला स्व–सहायता समूहों को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व– सहायता समूहों को अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में बैंकों की राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैंकों की वार्षिक साख योजना 2020–21 का विमोचन भी किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, ए.सी.एस श्री मनोज श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, ए.सी.एस श्री मनोज गोविल तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम. डी. एवं सी.ई.ओ. श्री पल्लव महापात्र ने वी.सी. के माध्यम से बैठक को संबोधित किया।

नए युवा उद्यमियों को लोन दें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैंकर्स से कहा कि वे नए युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रूपये तक का ऋण, उनसे बिना कोलेटरल गारंटी लिए, उपलब्ध कराएं। अभी यह देखने में आ रहा है कि जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को अधिकतर बैंक ऋण दे रही हैं। योजना में राज्य सरकार गारंटी दे रही है। इसलिए आवेदक से कोई भी गारंटी संबंधी दस्तावेज न लिए जाएं।

मुख्यमंत्री व वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने एस.एच.जी. से सीधे बातचीत की

वी.सी. में मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला स्व–सहायता समूहों की सदस्यों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए।

बैंक मैनेजर से स्पष्टीकरण मागें

सुश्री ज्योति मीणा सीहोर ने बताया कि स्वीकृत होने के बाद भी उनके समूह को 3 वर्ष हो गए पर बैंक से ऋण नहीं मिला है। प्रकरण बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुर का है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैंक मैनेजर से स्पष्टीकरण लेने तथा समूह को तुरंत ऋण वितरित किए जाने के निर्देश दिए।

बैंक सखी के लिए स्टाम्प शुल्क क्यों लिया गया? जाँच करें

ग्राम सिरपुरा गुना के एकता स्व–सहायता समूह की सदस्य सरिता सेन ने बताया कि बैंक सखी के लिए उनसे बैंक एक हजार का स्टाम्प एवं 500 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी मांगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। मामले की जाँच की जाए व दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करें। प्रकरण पंजाब नेशनल बैंक ग्राम सिरपुरा का है।

बैंक सखियों की संख्या बढ़ाएं

शिवपुरी पिछौर की रेखा लोधी ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बैंक सखी का काम किया तथा बैंकों से 32.5 लाख लेन–देन की सेवाएं प्रदान की। ए.सी.एस. श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में म.प्र. में 750 बैंक सखी हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 5000 होना चाहिए।

ब्याज दर एक हो, न्यूतनम हो

बताया गया कि वर्तमान में स्व–सहायता समूह को ऋण दिया जाता है उसकी अलग–अलग बैंकों की अलग–अलग ब्याज दरें हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ब्याज दर में एकरूपता हो। साथ ही इनके लिए ब्याज दर कम से कम हो।

ऑनलाइन होने से मिला तुरंत ऋण

अनूपपुर की सुश्री हेमलता ने बताया कि गत वर्ष उनके समूह को बैंक से ऋण राशि काफी विलंब से प्राप्त हुई थी। इस बार ऑनलाइन व्यवस्था होने से उन्हें तुरंत ऋण प्राप्त हो गया।

इस बार एस.एच.जी. को केवल 300 करोड़ का ऋण

ए.सी.एस. श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष स्व–सहायता समूहों को बैंकों द्वारा केवल 300 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बहुत कम है। महिलाओं के स्व–सहायता समूह को अधिक से अधिक ऋण विभिन्न गतिविधियों के लिए दिलाया जाए।

महिला स्व–सहायता समूह सबसे अच्छे

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम.डी. एवं सी.ई.ओ. श्री पल्लव महापात्र ने प्रदेश में स्व–सहायता समूहों की गतिविधि बढ़ाने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महिला स्व–सहायता समूह सबसे अच्छे ऋण ग्रहीता होते हैं। वे समय से ऋण का भुगतान करते हैं। इन्हें अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने से पूरी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज 4 से 5 पतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

लॉकडाउन के दौरान बैंकर्स के कार्य की सराहना की

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 से निपटने के लिये जारी किये गये पैकेज का नकद लाभ हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। सभी बैंकों द्वारा मिलकर बी.सी. एजेंट्स के माध्यम से प्रदेश की जनता को घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराई गई है। बी. सी. एजेंट्स द्वारा गत ढाई माह में कुल 224 लाख ट्रांजेक्शंस करते हुए 5254 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया गया है। सभी बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे कठिन समय में भी नकद राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई जिससे किसानों से खरीदे गये 129 लाख मी.टन. गेहूँ तथा अन्य जिंसों जैसे चना, सरसों आदि के भुगतान के लिये भी नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। इसके लिए मैं सभी बैंकर्स को बहुत–बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ।

पात्र खाताधारकों को तत्काल ऋण स्वीकृत करें

आत्मनिर्भर पैकेज में मुख्यतरू एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिये 29 फरवरी 2020 को कुल शेष ऋण का 20 प्रतिशत ऑटोमेटिक कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत किया जाना है। बैंकों द्वारा कुल बकाया खाते 9.96 लाख में से मात्र 2.96 लाख खातों को ही पात्र पाया गया है। अभी तक बैंकों द्वारा 2.96 लाख पात्र खातों में से 58 हजार 097 खातों में ऑटोमेटिक कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत किया गया है, परन्तु मात्र 28 हजार 744 खातों में ही ऋण वितरण हो सका है। सभी बैंकों से अपेक्षा है कि सभी पात्र खाताधारकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप तत्काल ऋण स्वीकृत कर निर्गमित करें।

तनावग्रस्त एम.एस.एम.ई. को पुनर्जीवित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैंकर्स से कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा तनावग्रस्त (stressed) एम.एस. एम.ई. के लिये 20 हजार करोड़ रूपये के सहायक ऋण (Subordinate Debt) की व्यवस्था भी की गई है, जिससे ऐसी इकाईयों को पुर्नजीवित किया जा सके। इससे बैंकों के एन.पी.ए. में कमी आ सकेगी और रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में इस योजना अंतर्गत अभी तक प्रगति निरंक है। सभी बैंक अपने–अपने प्रधान कार्यालय से निरंतर संपर्क बनाकर इस योजना को तत्काल लागू करवायें।

स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध कराएं ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सड़कों पर व्यवसाय करने वाले छोटे–छोटे व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश में कुल 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को इस योजना का लाभ दिया जाना है जिसमें प्रति हितग्राही अधिकतम 10 हजार रूपये का ऋण होगा। भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में चिन्हित स्ट्रीट वेण्डर्स को सभी बैंकों द्वारा तत्काल ऋण उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया जाये जिससे ये अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें। बैंकों द्वारा ऐसे छोटे–छोटे ऋण के लिये भी 3–4 प्रकार के दस्तावेज लिये जाते हैं। इसके लिये बैंकों को विचार कर एक समेकित दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिये जिससे हितग्राही को आसानी से ऋण मिल सके।

सभी पात्र किसानों को जारी करें के.सी.सी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश हैं। प्रदेश में लगभग 75 लाख किसान इस योजना अंतर्गत पंजीकृत किये गये हैं। प्रदेश में कुल 62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। लगभग 13 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाना है, जिसके विरूद्ध मात्र 2.16 लाख किसानों के आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। कृषि विभाग छूटे हुए किसानों को चिन्हित कर उनके आवेदन बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करें जिससे सभी किसानों को के.सी.सी. जारी किये जा सकें। लगभग 1.01 लाख आवेदन बैंक शाखाओं में भी लंबित हैं, जिन्हें बैंक शाखाओं द्वारा भी तत्काल निराकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। दुग्ध उत्पादक किसानों को भी के.सी. सी. जारी किये जाना है। प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियों के 2.67 लाख सदस्यों को पशुपालन विभाग उनके आवेदन पत्र नजदीकी बैंक शाखाओं में पहुँचाए। साथ ही सभी बैंक अपनी शाखाओं को प्राप्त आवेदनों का निराकरण 15 दिवस में करने के निर्देश जारी करें जिससे इन किसानों को भी ऋण उपलब्ध हो सके।

चंबल एक्सप्रेस-वे सहित विभिन्न योजनाओं को मिलेगी गति

केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की विभागों से चर्चा

भोपाल। केन्द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के संबंध में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।

बैठक में जानकारी दी गई कि चंबल एक्सप्रेस–वे की मंजूरी से चंबल अंचल केविकास को नये आयाम मिलेंगे। योजना के अंतर्गत भारत सरकार को दी जाने वाली भूमि का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। कुल 309 किलोमीटर क्षेत्र की प्रगति को साकार करने के लिए योजना से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वे इस सप्ताह केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम मंत्री श्री नितिन गडकरी से चर्चा कर प्रक्रियाओं को गति देने के संबंध में चर्चा करेंगे।

बैठक में ग्वालियर नगर में ग्रीष्मकाल में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए चंबल नदी से पानी लेने, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्थाएं करने, अमृत योजना के क्रियान्वयन, प्रदेश में औषधीय पार्क के विकास, बीहड़ विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत में कृषक वर्ग के उत्पादक संगठनों (FPO) को लाभान्वित करने, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि आधुनिकीकरण, जैविक खेती के क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में कोरोना के संकट काल में मनरेगा से श्रमिकों को बड़ा सहारा मिला। अन्य राज्यों की तुलना में अधिक संख्या में जरूरत मंद लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश के 24 जिलों की स्थिति पर प्रधानमंत्री जानकारी लेंगे। इस कार्य में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। मनरेगा कार्यों के तहत हर्बल गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की प्रगति और योजनाओं के बेहतर अमल की स्थिति को अनुभव किया है। किसानों के हित में उन्होंने तिवड़ा चना की खरीदी की मंजूरी दी, जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश के किसानों से 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक तिवड़ा चना की खरीदी की जा सकी। बैठक में मध्यप्रदेश में मिट्टी परीक्षण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को लाभान्वित करने के लिए तिथि में वृद्धि किये जाने पर केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का जिलेवार वृहद अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सघन सर्वे कर एक–एक कोरोना मरीज की पहचान की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की गति निरंतर धीमी हो रही है, अब हमें इसे पूरी तरह समाप्त करना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे।

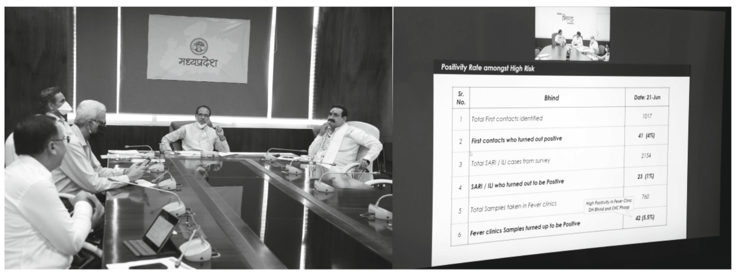

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट 50 दिन हो गई है जबकि देश की 19.6 दिन है। प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.40 है जबकि देश की 3.58 है। मध्यप्रदेश कोरोना संक्रमण में अब भारत में 13वें स्थान पर आ गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश की रिकवरी रेट 76.3 प्रतिशत हो गई है, जबकि देश की 55.8 प्रतिशत है। प्रदेश में कोरोना के 175 नए मरीज मिले है, जबकि 200 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या 2342 रह गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना मॉनीटरिंग के लिए बनाए गए वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों का दौरा करें तथा वहां की व्यवस्थाएं देखें। हमें कोरोना संक्रमण को हर हालत में रोकना है। भिंड एवं रायसेन जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा इनाम

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की गयी है। अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तो के अधीन इनाम देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।

बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी–कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है। विजिलेंस सेल का पता है – विजिलेंस सेल, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि,गोविन्दपुरा, भोपाल। इसके अलावा कॉल सेन्टर के नंबर 1912 अथवा UPAY एप पर भी सूचना देने का विकल्प है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन

भोपाल। भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग के निर्देशानुसार राज्य में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया है। यह समिति स्थाई स्वरूप की होगी। समिति प्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गवर्निंग काउंसिल या स्टेयरिंग कमेटी के अनुरोध पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग प्रदान करेगी। समिति गवर्निंग काउंसिल या स्टेयरिंग कमेटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन में राज्य के सामाजिक एवं अर्थिक विकास के लिए ब्रॉडबैंड सेवा के विस्तार, ब्रॉडबैंड रेडीनेस के समस्त विषयों पर कार्य एवं राज्य में अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करेगी। समिति प्रत्येक तीन माह में बैठक का आयोजन एवं आवश्यकतानुसार बैठक में विभागों के अधिकारी/विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित करेगी।

समिति में प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रमुख सचिव/सचिव नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव/सचिव वन, प्रमुख सचिव/सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व,सलाहकार/वरिष्ठ उप महानिदेशक दूर संचार विभाग समिति में सदस्य सचिव होगें। मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड., मुख्य महाप्रबंधक, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड., श्री रामकृष्ण पी., सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसियेशन ऑफ इंडिया (COAI) प्रतिनिधि और श्री टी.आर.दुवा, महानिदेशक, टॉवर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर्स एसोसियेशन (TAIPA) प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होगें।

परिवहन कार्यालयों में सभी कार्य होंगे ऑनलाइन

भोपाल। प्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में सभी कार्य ऑनलाइन किये जाएंगे। समस्त प्रकार के कार्यों के लिये डिजिटल माध्यम से टेक्स एवं फीस ही स्वीकार की जाएगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड–19 के संक्रमण एवं लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन कार्यालय बंद किये गये थे। शासन के निर्णयानुसार 8 जून से अनलॉक की घोषणा के बाद परिवहन कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से सेवायें आरंभ की गयी। जिसके तहत सभी प्रकार के कार्यों के लिये ऑनलाइन आवेदन लेना, केवल डिजिटल माध्यम से टैक्स एवं फीस जमा करना और नवीन वाहनों के पंजीयन आवेदन केवल वीआईडी के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।

सकारात्मकता, ऊर्जा और शक्ति से भरकर, जीवन में परिवर्तन लाता है योग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परिवार के सदस्यों के साथ निवास पर किया योग

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने निवास पर परिवार के साथ योगाभ्यास किया।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोविड–19 के दृष्टिगत सामूहिक योग आयोजन न कर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने घर पर ही योग किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। केंद्र सरकार ने इस वर्ष योग दिवस के अवसर पर घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम दी है।

परिवार के साथ किया योगाभ्यास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर परिवार के साथ योग किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ उनकी धर्म पत्नी श्रीमती साधना सिंह, पुत्र श्री कार्तिकेय सिंह और श्री कुणाल सिंह ने भी योग किया।

प्रतिदिन योग का महत्व

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योग से जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव होता है क्योंकि योग व्यक्ति को शक्ति से, ऊर्जा से और सकारात्मकता से भर देता है। इसलिए एक दिन नहीं, प्रतिदिन योग करना चाहिए।इसका विशेष महत्व है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस वर्ष घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम दी है। उसी का पालन करते हुए हमने घर पर परिवार के साथ योग किया है।

दुनिया योग की तरफ आकर्षित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योग निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के बाद हमारे महाऋषियों ने, योग गुरुओं ने हमें ही नहीं, विश्व को दी है। आज सारी दुनिया योग की तरफ, निरोग रहने के लिए आ रही है। ऐसे में हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं नित्य योग करें।

पंच-परमेश्वर योजना से ग्राम पंचायतों में बह रही विकास की धारा

भोपाल। सरकार ने पंच–परमेश्वर योजना को पुनरू प्रारंभ कर विकास को एक नई दिशा दी है। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये पंच–परमेश्वर योजना में राशि उपलब्ध करवाई गई है। इस राशि से ग्रामीण अंचलों में विकास के साथ पेयजल, स्वच्छता ओर स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। हाल ही में पंच–परमेश्वर योजना में 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों में भेजी गई है।

पंच–परमेश्वर योजना में कटनी जिले की 407 ग्राम पंचायतों को 29 करोड़ 88 लाख 16 हजार 492 की राशि आवंटित की गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का उपयोग कोरोना की रोकथाम के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के स्थाई प्रकृति के विकास कार्य में किया जा रहा है। पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर जल और स्वच्छता संबंधी कार्य करवा रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के दौरान सरकार ने कोविड–19 की रोकथाम के लिये ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की प्राप्त राशि से 15 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति दी है। इस राशि से मजदूरों एवं जरूरतमंदों को मास्क, साफ–सफाई, साबुन, सेनेटाइजर, पीपीई किट आदि खरीदे जा सकते हैं। जिले की ग्राम पंचायतों के अधोसंरचना विकास, पेयजल संबंधी और संधारण कार्य के लिये 14वें वित्त आयोग से एक पंचायत को औसतन 8 लाख रुपये तक प्राप्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में लॉकडाउन अवधि में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को स्थानीय रोजगार मुहैया कराने लगभग 6500 कार्य मनरेगा के चल रहे हैं। इसी प्रकार पंच–परमेश्वर योजना में भी जल स्वच्छता के टिकाऊ कार्य किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, इसके लिये जल संग्रह के काम, मेड़ बंधान, तालाब निर्माण, गहरीकरण, सम्पर्क ग्रामीण सड़क, खेत–तालाब, गौशाला निर्माण, नदी पुनरुद्धार, वॉटर शेड के काम बहुतायत में लिये गये हैं। वर्तमान में जिले में केवल मनरेगा के कार्यों से 72 हजार मानव दिवस प्रतिदिन रोजगार सृजित किया जा रहा है।

जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत कैलवारा खुर्द के ग्राम प्रधान सरपंच माधुरी पाठक ने बताया कि ग्राम पंचायत में 145 मजदूर काम पर लगे हैं। पंच–परमेश्वर योजना में उनकी पंचायत को 10 लाख 98 हजार 753 रुपये मिले हैं। ग्राम पंचायत ने अब तक 5 हजार 98 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। ग्राम पंचायत पड़रिया सरपंच आशीष तिवारी ने बताया कि पंच–परमेश्वर योजना में उन्हें 7 लाख 37 हजार 496 रुपये मिले हैं। ग्राम पंचायत में 125 मजदूर कार्यरत हैं तथा पंचायत ने 3 हजार 420 दिवस का रोजगार सृजित किया है। छहरी के सरपंच जगदीश उरमलिया ने बताया कि उनकी पंचायत को योजना में 5 लाख 95 हजार 431 रुपये मिले हैं। ग्राम पंचायत में 117 मजदूर काम पर हैं। अब तक 3 हजार 110 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। ग्राम पंचायत मड़ई के सरपंच अशोक मांझी ने बताया कि उनकी पंचायत में 192 मजदूरों को काम दिया जा रहा है। पंच–परमेश्वर योजना में 7 लाख 54 हजार 197 रुपये मिले हैं। पठरा ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान राधा बाई कुशवाहा बताती हैं कि पंच–परमेश्वर योजना में उन्हें 4 लाख 68 हजार 31 रुपये मिले हैं। पंचायत में 281 मजदूर काम पर लगे हैं। ग्राम पंचायतों में पंच–परमेश्वर योजना की राशि से प्रवासी मजदूरों का आश्रय, प्रबंधन, बचाव के साधन सहित अन्य व्यवस्थाओं के अलावा पेयजल, स्वच्छता के काम भी लिये गये हैं।

प्रदेश में मिल रहा 25 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार

भोपाल। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत लगभग दो लाख कार्यों में 25 लाख 16 हजार 24 श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष से यह संख्या लगभग दोगुनी है। गत वर्ष 14 जून को 12 लाख 51 हजार 680 श्रमिक मनरेगा में कार्यरत थे। प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान में 8 लाख 38 हजार 243 श्रमिकों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। गत वर्ष इसी अवधि में बनाये गये नवीन जॉबकार्डो की संख्या मात्र 1 लाख 84 हजार थी।

मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। स्किल मेपिंग के लिए रोजगार सेतु का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न श्रेणियों में कार्य करने वाले श्रमिक सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। अब तक 44 हजार 988 श्रमिक इससे जोड़े गए हैं। आत्म निर्भर भारत में एक लाख 24 हजार 552 प्रवासी मजदूरों को खाद्यान दिया गया। विभिन्न बिल्डर्स, कांट्रेक्टर्स और कारखाना प्रबंधन से जानकारी एकत्र कर श्रमिकों के रोजगार के लिए श्रेणी वार संभावनाओं को देखा जा रहा है। संबल पोर्टल पर भी 3 लाख 24 हजार 715 लोग पंजीबद्ध हो गए हैं।

कोरोना संक्रमण के दौर में श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में इन प्रयासों का विशेष महत्व है। विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा कार्यों से जोड़कर आर्थिक सहारा दिया गया है।

टिड्डी दल का स्प्रे-पंपों और फायर-ब्रिगेड से कीटनाशकों का छिड़काव कर किया नियंत्रण

भोपाल। प्रदेश के उज्जैन, सागर, जबलपुर एवं भोपाल संभागो में टिड्डी दल के सक्रिय होने पर इनके नियंत्रण के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि सोमवार को भोपाल संभाग के विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकासखंड के ग्राम करईया, डिधोरा एवं पटनी में एक टिड्डी दल का ठहराव हुआ, जिस पर 30 ट्रैक्टर–चलित स्प्रे–पंपों और 2 फायर–ब्रिगेड से कीटनाशकों का छिड़काव कराकर नियंत्रण की कार्यवाही की गई।

उज्जैन संभाग के नीमच जिले में ग्राम बोदिया खुर्द, गगनियाखेड़ी, रूपावास एवं जरदा में एक टिड्डी दल पर 25 ट्रैक्टर–चलित स्प्रे–पंपों एवं 4 फायर ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कर नियंत्रण कराया गया। जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले के ग्राम कोसमरा एवं कोसामदेही में एक टिड्डी दल का ठहराव होने पर 3 फायर–ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कर नियंत्रण पाया गया। अनूपपुर जिले के ग्राम ईटोर के वन क्षेत्र और कटनी जिले में भी एक टिड्डी दल का ठहराव हुआ, जिस पर प्रभावी कार्यवाही की गई।

छोटे-छोटे व्यवसायियों को बनाएं आत्मनिर्भर शहरी पथ विक्रेताओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि संबंधी बैठक ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें शहरी क्षेत्रों के छोटे–छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने वाली **प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि** योजना सहायक होगी। योजना में भारत सरकार 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है, शेष अनुदान राज्य सरकार देगी। इस प्रकार शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक से बिना गारंटी के 10 हजार रूपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि संबंधी बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबालसिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री नीतेश व्यास, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला और श्रीमती दीपाली रस्तोगी आदि उपस्थित थे।

योजना के प्रमुख बिन्दु

- योजना में पात्र हितग्राहियों को 10 हजार रूपए का ऋण (कार्यशील पूंजी के रूप में)।
- भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को शेष ब्याज अनुदान सहायता।
- डिजीटल पेमेन्ट पर कैश बैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रूपए),
- योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2022 बिना धरोहर राशि के ऋण।
- ऋण अवधि एक वर्ष–पुनर्भुगतान प्रतिमाह।
- त्रैमासिक ब्याज अनुदान–पूर्व त्रैमास के पुनर्भुगतान की स्थित के आधार पर।

योजना लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड–19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं का रहा है, लॉकडाउन अवधि के दौरान इनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। इनकी आजीविका पुनरू प्रारंभ करने तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की गई है। योजना को लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी है तथा यहाँ **मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल** प्रारंभ कर उस पर शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीयन भी बड़ी संख्या में हो गया है।

सभी 378 नगरीय निकायों में ढाई लाख से अधिक पंजीयन

योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी 378 नगरीयनिकायों में 2 लाख 71 हजार 801 पथ विक्रेताओं का पंजीयन ष्मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टलष पर किया गया है। इसमें 30 प्रतिशत सब्जी विक्रेता, 9 प्रतिशत कपड़ा विक्रेता, 8 प्रतिशत फल विक्रेता तथा 7 प्रतिशत खान–पान सामग्री पथ विक्रेता है। पंजीयन का कार्य चल रहा है। ऐसे पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 के पूर्व से पथ विक्रेता हैं वे इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

योजना प्रक्रियाओं में न फंस जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में योजना का व्यावहारिक रूप से समुचित क्रियान्वयन हो तथा हर पात्र स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ मिले। इस बात का ध्यान रखें कि योजना प्रक्रियाओं में न फंस

रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु पोर्टल के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो रहा है। पोर्टल पर अभी तक एक हजार 933 प्रवासी श्रमिकों को कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 3 हजार 912 श्रमिकों को कुशल रोजगार दिए जाना प्रक्रियाधीन है।

अकुशल प्रवासी श्रमिकों में 2 लाख 71 हजार 706 को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है तथा 74 हजार 839 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाया गया है।

रोजगार सेतु पोर्टल नियोक्ताओं के लिए भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल/अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त करने का प्रभावी मंच है। इस पोर्टल पर अभी तक 13 हजार 155 नियोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें 3 हजार 380 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, 405 वृहद उद्योग, 4 हजार 604 ठेकेदार, 167 बिल्डर्स, 292 प्लेसमेंट एजेंसी तथा 1225 अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं।

पोर्टल पर 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5 लाख 96 हजार 975 पुरुष प्रवासी श्रमिक, एक लाख 33 हजार 336 महिला प्रवासी श्रमिक शामिल हैं।

किसानों से खरीदा 6.58 लाख मीट्रिक टन चना

भोपाल। प्रदेश में किसानों से 6. 58 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद की जा चुकी है। किसानों को इसके लिए 3700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब तक एक लाख 30 हजार मीट्रिक टन तिवड़ा चना खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से किसानों से तिवड़ा युक्त चने की खरीदी का कार्य गत 2 सप्ताह में संपन्न हुआ और उपार्जित किये गये तिवड़ा चने की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ और चना को मिलाकर अनुमानित 30 हजार करोड रुपए का भुगतान किसानों को किया गया।

डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. वेबसाइट पर अब जिले के समाचार भी मिलेंगे

भोपाल। प्रदेश के 52 जिलों की डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. वेबसाइट पर अब संबंधित जिले के समाचार प्रतिदिन देखे जा सकेंगे। सभी जिलों की एन.आई.सी. वेबसाइट पर जनसम्पर्क विभाग के डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।

इस पहल के परिणामस्वरूप अब डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. की वेबसाइट पर जिले की जानकारी के साथ जिले के समाचार भी उपलब्ध हो सकेंगे। अभी तक जिले की एन.आई.सी. वेबसाइट पर जिले से संबंधित सामान्य जानकारी के साथ–साथ पर्यटन एवं अन्य आवश्यक जानकारी रहा करती थी। जनसम्पर्क विभाग के डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल से जुड़ जाने के बाद एन.आई.सी. की वेबसाइट पर जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय, गविविधियों एवं शासकीय कार्यक्रमों से संबंधित समाचार व्यूवर्स को मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि जनसम्पर्क विभाग द्वारा अपनी मुख्य वेबसाइट के साथ डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास मद को प्राप्त हुए 3 करोड़

भोपाल। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन.एम.ई.टी.) के अन्तर्गत प्रदेश मे वित्तीय वर्ष 2020–21 में मई 2020 में 2 करोड़ 99 लाख की प्राप्ति हुई है। खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 ग के प्रावधानों के अधीन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज न्यास नियम 14 अक्टूबर 2015 से अधिसूचित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत भाग ट्रस्ट के खाते में जमा कराया जाता है।

प्रदेश की 15 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार पंचायतों को मिली सराहना

भोपाल। भारत सरकार द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किए गए हैं। मध्यप्रदेश की 15 पंचायतों को यह अवार्ड मिला है। दो जिला पंचायत नीमच, मंदसौर और दो जनपद पंचायत आलोट एवं होशंगाबाद सहित प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है। पंचायतों द्वारा सेवाओं के बेहतर प्रदाय पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है।

पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों में जिला पंचायत को प्रमाण–पत्र सहित 50 लाख रुपये, जनपद पंचायत को प्रमाण–पत्र सहित 25 लाख रूपये और ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण–पत्र के साथ पाँच लाख से 15 लाख तक के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को राजस्व आय में बढोत्तरी, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन करने वाली ग्राम पंचायतों में नीमच जिले की ग्राम पंचायत भरवड़िया, सागर जिले की दो ग्राम पंचायत मरामाधौ एवं तुमरी, इंदौर जिले की ग्राम पंचायत पोटलोद, होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत बाबईखुर्द, धार जिले की ग्राम पंचायत सुंदरेल, सीधी जिले की ग्राम पंचायत पनवार चौहानन, मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत पाड़लिया मारू, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत कंसर, सीहोर जिले की ग्राम पंचायत मूगली और रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ी शामिल हैं। मध्यप्रदेश की पंचायतों को मिले ये पुरस्कार पंचायतों के बेहतर कामकाज के परिणाम हैं।

गरीबों को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से 10 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रही है। प्रदेश के लगभग 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रूपये का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल से वेब लिंकिंग के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख से अधिक घरेलू, कृषि, उद्योग बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित किया साथ ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे, सचिव श्री आकाश त्रिपाठी उपस्थित थे।

100 रूपये का बिल आने पर 50 रूपये भुगतान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मार्च 2020 के ऐसे उपभोक्ता जो संबल योजना में शामिल हैं, जिनके बिल अप्रैल माह में 100 रूपये तक आये हैं, उन उपभोक्ताओं को आगामी 3 माहों में 100 रूपये तक बिल आने पर 50 रूपये ही बिल का भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 30 लाख 68 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे तथा लगभग 46 करोड़ रूपये की राशि का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा।

400 रूपये तक के बिल पर 100 रूपये का भुगतान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिन्हें माह अप्रैल में 100 रूपये का बिल आया था किन्तु माह मई, जून एवं जुलाई में 100 से 400 रूपये के मध्य बिल आया है तो मात्र 100 रूपये ही बिल का भुगतान करना होगा। इस तरह लगभग 56 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 255 करोड़ रूपये की राहत उपलब्ध करायी जायेगी।

400 रूपये से अधिक बिल पर आधा भुगतान

ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल अप्रैल माह में 100 से 400 रूपये के मध्य आया था तथा माह मई, जून एवं जुलाई में 400 रूपये से अधिक आता है तो, ऐसे उपभोक्ता को बिल की आधी राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि के भुगतान के संबंध में बिलों की जाँच करने के उपरांत आगामी निर्णय लिया जायेगा। इसमें भी लगभग 183 करोड़ रूपये का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।

बिजली कर्मियों की सराहना की

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के समय में जब आप सभी लोग अपने घरों में थे, तब हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने लगातार बिना रूके आपके घरों में बिजली सप्लाई चालू रखी। आंधी बारिश के समय भी सभी विद्युतकर्मी आपकी सेवा में तत्पर हैं। वाकई ये हमारे कोरोना योदधा है। इनका कार्य प्रशंसनीय है।

कृषि के लिए 10 घंटे व घर के लिए 24 घंटे बिजली

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार प्रदेश में कृषि कार्य के लिए 10 घंटे एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है।

मध्यप्रदेश ने देश में गेहूँ खरीदी का रिकार्ड बनाया

अब तक ऑल टाइम सर्वाधिक 129 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन

भोपाल। मध्यप्रदेश ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में देश में नया रिकार्ड बनाया है। प्रदेश में 15 जून तक एक करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन मध्यप्रदेश में किया गया है। गेहूँ की यह मात्रा पूरे देश में किसी राज्य द्वारा अब तक की गई खरीदी का ऑलटाइम रिकार्ड है। अभी तक इतनी मात्रा में गेहूँ का उपार्जन किसी भी राज्य में नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने उपार्जित गेहूँ में से एक करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ गोदामों में सुरक्षित परिवहन किया है, जो कि कुल उपार्जन का 97 प्रतिशत है। अभी तक 45 जिलों में शत–प्रतिशत परिवहन का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 7 जिलों में तीव्र गति से परिवहन का कार्य कराया जा रहा है। इंदौर और उज्जैन जिलों में मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम दोनों एजेंसियों को कार्य पर लगाकर तेजी से परिवहन कार्य पूर्ण करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उपार्जित गेहूँ के विरूदध लगभग 22 हजार करोड़ का भुगतान 14 लाख 88 हजार किसानों के खातों में किया गया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें एवं जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गेहूँ उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकाडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला कोरोना योद्धा और मध्यप्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए है।

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूँ उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किये गये उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भण्डारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कही ज्यादा उपार्जन कम अवधि में करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भण्डारण की व्वस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई।

पाठक जी सेवा निवृत्त

जबलपुर। सहज, सरल व्यक्तित्व के धनी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक 31 मई को सेवा निवृत्त हो गये। सहृदयता के प्रतीक श्री पाठक का साहित्यिक क्षेत्र में एक अपना स्थान है। उन्होंने अपने प्राचार्य के कार्यकाल में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र को नई पहचान दी है। निष्कलंक सेवा निवृत्ति का अपना एक स्थान होता है। श्री पाठक की विद्वता हमें हमेशा गौरवांवित करती रही है। यथा समय मुख्यालय में भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। अग्रिम पारी के लिए शुभकामनाएँ। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य का प्रभार श्री शशिकांत चतुर्वेदी ने सम्भाल लिया है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।